राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मालीराम बनाम बाबूलाल 37/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/10/2025 को पेश हो।	
31/10/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28/11/2024 को समस्त प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 28/11/2024 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी द्वारा साबित करने में असफल होना धारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष में अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस मने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि मूल वाद सहखातेदारान के मध्य विभाजन का है। ऐसी स्थिति में यदि विधिवत विभाजन से पूर्व विवादग्रस्त भूमि का अन्यत्र बैचान/हस्तान्तरण हो जाता है अथवा उसे कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तन किया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर पेचीदगीया ब्धेगिम जिसे रोका जाना न्यायहित में आवश्यक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त रेस्पो. संख्या 2 द्वारा अपनी लिखित बहस में विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु ईस्तदुआ की गयी है। इसके अतिरिक्त उद्धरित तथ्यों से प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी अपीलार्थी के पक्ष में जाहिर होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर ही पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28/11/2024 को निरस्त कर ता-फैसला मूल वाद उभयपक्ष को ग्राम हस्तेड़ा तहसील चौमू, जिला जयपुर स्थित विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 555 रकबा 1.26 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	